कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) 2713551

election09@gmail.com फोन न0 (0135) 2713552

संख्या– 269 /xxv–12(11)/2021 देहरादून : दिनांक 10 जनवरी, 2022

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

श्री अमित कुमार
पुत्र स्व0 गुलाब सिंह,
ग्राम लाठर देवा छुण,
ब्लाक नारसन,
जिला हरिद्वार

विषय– **सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र दिनांक 03–01–2022 जो इस कार्यालय में दिनांक 06.01.2022 को प्राप्त हुआ है, में मांगी गयी वांछित बिन्दुओं से सम्बन्धित कार्यालय में धारित सूचना, निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैं–

बिन्दु संख्या	सूचना का विवरण
1	लोक प्रतिनिधि अधिनियम–1951 (भाग–2–संसद के अधिनियम) की धारा–159 की प्रति 01(एक) पेज में संलग्न प्रेषित।
2	बिन्दु संख्या–2 से सम्बन्धित सूचना कार्यालय में धारित नहीं है।
3	बिन्दु संख्या–3 से सम्बन्धित सूचना कार्यालय में धारित नहीं है।
4	बिन्दु संख्या–3 से सम्बन्धित सूचना कार्यालय में धारित नहीं है।
5	बिन्दु संख्या–3 से सम्बन्धित सूचना कार्यालय में धारित नहीं है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता–

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून– 248001,

भवदीय,

B S Rawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 के अन्तर्गत माँगी गई सूचना

6-1-2022

कार्यालय -

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथमतल सुभाष रोड, सचिवालय परिसर देहरादून

निम्न बिन्दु पर सूचना प्रेषित करने की कृपया करे।

बिन्दु (1) चुनाव के दौरान किस-किस विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियो की ड्यूटी चुनाव कार्यों मे लगाई जाती हैं।

बिन्दु (2) चिकित्सा विभाग व विद्युत विभाग के कर्मचारी/अधिकारीयो की चुनाव कार्यों में ड्यूटी लगाई जाती है या नही यदि नही लगाई जाती है तो क्यो नही?

बिन्दु (3) ग्रह जनपद में किस-किस विभाग के कर्मचारी / अधिकारी कार्य कर सकते हैं।

बिन्दु (4) ऐसे कितने कर्मचारी व अधिकारी है जिनको एक ही जनपद में तीन वर्ष से अधिक कार्य करते हो गये है। प्रत्येक विभागवार सूची प्रेषित करने की कृपया करे।

बिन्दु (5) चुनाव आयोग के अनुसार किस-किस विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों की वजह से चुनाव प्रभावित हो सकते हैं।

प्रार्थी
Amit

पोस्टल आर्डर नं० - 54F (800379)
दिनांक 03-01-2022

नाम - अमित कुमार S/o
स्व० गुलाब सिंह
ग्राम - लालर देवा हुणा
ब्लाक - नारसन
जिला - हरिद्वार

परन्तु आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किए गए निर्वाचन में जहां कि अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं होता वहां उसके द्वारा किया गया निक्षेप समपहृत हो जाएगा यदि उसे मतों की उस संख्या के छठे भाग से अधिक मत प्राप्त नहीं होते जो अभ्यर्थी हो जाने के लिए पर्याप्त रूप में इस निमित्त विहित हैं ।

(5) उपधाराओं (2), (3) और (4) में किसी बात के होते हुए भी---

(क) यदि साधारण निर्वाचन में अभ्यर्थी एक से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में या एक से अधिक सभा निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है तो एक ही निक्षेप वापस किया जाएगा और अन्य निक्षेप समपहृत हो जाएंगे ;

(ख) यदि अभ्यर्थी निर्वाचन में एक से अधिक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों में, या निर्वाचन में एक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र में और विधान परिषद् में स्थानों को भरने के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है तो एक ही निक्षेप वापस किया जाएगा और अन्य निक्षेप समपहृत हो जाएंगे ।

[1][**159. कतिपय प्राधिकारियों के कर्मचारिवृन्द निर्वाचन के काम के लिए उपलब्ध किए जाएंगे**---(1) जब अनुच्छेद 324 के खंड (4) के अधीन नियुक्त प्रादेशिक आयुक्त या राज्य का मुख्य निर्वाचन आफिसर, ऐसा अनुरोध करे तब, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी किसी रिटर्निंग आफिसर को उतने कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएंगे जितने निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हों ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(i) हर स्थानीय प्राधिकारी ;

(ii) केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित हर विश्वविद्यालय ;

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित कोई सरकारी कंपनी ;

(iv) ऐसी कोई अन्य संस्था, समुत्थान या उपक्रम, जो केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या सारतः नियंत्रित या वित्तपोषित है ।]

160. परिसर, यानों आदि का निर्वाचन के प्रयोजन के लिए अधिग्रहण----(1) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि राज्य के भीतर होने वाले निर्वाचन के संबंध में—

(क) इस प्रयोजन के लिए कि उसका मतदान केन्द्र के रूप में या मतदान होने के पश्चात् मतपेटियों के रखने के लिए उपयोग किया जाए, किसी परिसर की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है ; अथवा

(ख) किसी मतदान केन्द्र से या को मतपेटियों के परिवहन के प्रयोजन के लिए या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन के या ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए किसी आफिसर या अन्य व्यक्ति के परिवहन के लिए किसी यान, जलयान या जीवजन्तु की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है,

तो वह सरकार ऐसे परिसर या, यथास्थिति, ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर सकेगी, और ऐसे अतिरिक्ति आदेश दे सकेगी जैसे कि अधिग्रहण के संबंध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई यान, जलयान या जीवजन्तु, जिसे अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन से संसक्त किसी प्रयोजन के लिए विधिपूर्णतः उपयोग में ला रहा है, इस उपधारा के अधीन तब तक अधिगृहीत न किया जाएगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त न हो जाए ।

(2) अधिग्रहण उस व्यक्ति को संबोधित लिखित आदेश द्वारा किया जाएगा जिसकी बाबत राज्य सरकार यह समझती है कि वह उस सम्पत्ति का स्वामी है या उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति है और ऐसे आदेश की उस व्यक्ति पर तामील, जिसे वह संबोधित है, विहित रीति में की जाएगी ।

(3) जब कभी कोई सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन अधिगृहीत की जाए तब ऐसे अधिग्रहण की कालावधि उस कालावधि के परे विस्तृत न होगी जिसके लिए ऐसी सम्पत्ति उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित है ।

---

[1] 1998 के अधिनियम सं0 12 की धारा 2 द्वारा (23-12-1997 से) प्रतिस्थापित ।